/

उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा अधिकरण देहरादून

कार्यालय आदेश सं0 - 82

दिनांकः 08.11.2023

उत्तराखण्ड राज्य लोक सेवा अधिकरण, देहरादून हेतु आगामी एक वर्ष (दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक) के लिए शपथ आयुक्तों की नियुक्ति किया जाना प्रस्तावित है। अतः राज्य लोक सेवा अधिकरण के समक्ष वास्तविक रूप से अधिवक्ता के रूप में कार्यरत अधिवक्तागण से आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते हैं। अर्ह अधिवक्ता गण, निम्न प्रारूप पर, सत्य विवरण प्रस्तुत करते हुए लोक सेवा अधिकरण, देहरादून के कार्यालय में दिनांक 08.12.2023 को कार्य दिवस के समय तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा, विशेष परिस्थितियों में, लोक सेवा अधिकरण की Email Id: registrarpstuk@rediffmail.com. में भेज सकते हैं।

उक्त समय के उपरान्त कोई आवेदन पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ बार संघ की सदस्यता एवं अधिवक्ता के रूप में पंजीकरण की छाया प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

आवेदन हेतु निर्धारित शर्तें–

1. समस्त नियुक्त शपथ–आयुक्त अक्षरशः नियुक्ति संबंधी तथा कार्य संबंधी समस्त निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
2. शपथ–पत्रों पर जिला न्यायालय से क्रय कूपन ही नत्थी किए जायेंगे।
3. शपथ–पत्र के सत्यापन हेतु देय शुल्क रू0 30/– होगा।
4. उपरोक्त शर्तों एवं निर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर संबंधित शपथ आयुक्त को भविष्य के लिए निरर्हित (Disqualify) किया जाएगा।

<u>आवेदन का प्रारूप</u>

1. आवेदक अधिवक्ता का पूर्ण नाम–
2. आवेदक के पिता का नाम–
3. जन्मतिथि–
4. आवासीय पता– फोन नं0 सहित
5. अधिवक्ता पंजीकरण संख्या व वर्ष–

6. मासिक आय एवं आर्थिक पृष्ठभूमि

7. उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण के समक्ष वकालत का अनुभव, यदि कोई हो, अन्यथा विधि व्यवसाय का स्थान–

दिनांकः 08.11.2023

मा0 अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से

(धमेन्द्र कुमार सिंह)
निबन्धक,
उत्तराखण्ड लोक सेवा न्यायाधिकरण,
देहरादून।